उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

पत्रांक 1029 /यू0ओ0यू0/क्रय/2025–26   दिनांक 17 जनवरी, 2026

दर प्राप्ति हेतु कोटेशन सूचना

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी परिसर में स्थापित डीजल जनरेटर सेट्स (DG Sets) के रखरखाव (Non-Comprehensive AMC)/वार्षिक अनुरक्षण एवं मरम्मत के कार्य हेतु योग्य, अनुभवी एवं जीएसटी पंजीकृत फर्मों/एजेंसियों से मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक फर्म/सेवाप्रदाता अपनी दरें, सलग्न कोटेशन प्रारूप में अंकित कर सीलबंद लिफाफे, जिसके ऊपर स्पष्ट रूप में 'डीजल जनरेटर सेट्स की ए.एम.सी.' लिखा हो, में रखते हुए दिनांक 30/01/2026, **समय** दोपहर 03:00 बजे तक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी कार्यालय में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते है।

मशीनों का विवरण (Scope of Work):

विवरण	क्षमता (KVA)	क्रय वर्ष	कार्य
डीजल जनरेटर	82.5	2010	वार्षिक अनुरक्षण
डीजल जनरेटर	125	2012	वार्षिक अनुरक्षण
डीजल जनरेटर	20	2014	मरम्मत एवं वार्षिक अनुरक्षण
डीजल जनरेटर	15	2010	वार्षिक अनुरक्षण

नियम एवं शर्तें (Terms and Conditions)

- दर, बिना जी.एस.टी. के उदृत करनी होगी ।
- दरों का मूल्यांकन, कुल राशि के योग पर किया जायेगा।
- सेवाप्रदाता द्वारा प्रस्तुत की गयी दरें, समस्त प्रासंगिक व्ययों सहित पूर्ण एवं अंतिम होगी।
- फर्म के नाम से वैध जी.एस.टी. पंजीकरण होना अनिवार्य है।

- फर्म के पास सरकारी संस्थानों से जेनसेट रिपेयरिंग/AMC क्षेत्र में कम से कम 05 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। इस की पुष्टि हेतु सम्बंधित संस्थान से जारी अनुभव प्रमाण पत्र या कार्य का अनुबंध से होगा।
- फर्म के पास वैध इलेक्ट्रिकल लाइसेंस होना आवश्यक है।
- फर्म का अपना सर्विस सेंटर/कार्यालय हल्द्वानी शहर में होना आवश्यक है, ताकि त्वरित सेवा मिल सके।
- इस Non-Comprehensive ए.एम.सी. प्लान में सर्विस इंजीनियर का विजिट चार्ज व सभी लेबर चार्ज शामिल होंगे। शेष अन्य व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वास्तविक आधार पर वहन किया जाएगा।
- अनुबंध अवधि के दौरान प्रत्येक जेनसेट की 02 (दो) अनिवार्य सर्विस (Preventive Maintenance) छमाही आधार पर करनी होंगी।
- उक्त अनिवार्य सर्विस के अतिरिक्त ए.एम.सी. में मशीन खराब होने पर असीमित (Unlimited) ब्रेकडाउन कॉल शामिल होंगी। ऐसी दशा में विश्वविद्यालय से बुलावा/शिकायत मिलने के 04 घंटे के भीतर फर्म के इंजीनियर को साइट पर उपस्थित होकर सम्बंधित जनरेटर मशीन को सही कर चालू स्थिति में करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त श्रमिक शुल्क या परामर्श शुल्क देय नहीं होगा।
- दरें प्रस्तुत करने से पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण अनिवार्य है। फर्म/सेवाप्रदाता को सलाह दी जाती है कि कार्यक्षेत्र को समझने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक दरें प्रस्तुत करने से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में विश्वविद्यालय के अनुरक्षण अनुभाग की निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रश्नगत मशीनों का अवलोकन कर सकते हैं।
- क्रम सं. 3 (20 KVA) हेतु विशेष शर्त:- चूंकि 20 KVA जेनसेट में 'मरम्मत' भी अपेक्षित है, अतः फर्म को पहले मशीन का निरीक्षण करना होगा और उसे चालू हालत (Working Condition) में लाने के लिए 'वन टाइम रिपेयर कॉस्ट' (One Time Repair Cost) कोटेशन प्रारूप में अलग से दर्शानी होगी। उक्त मशीन में रिपेयर के बाद चालू हालात में होने पर ही ए.एम.सी. लागू होगी।

- नियमित सर्विस (Routine Service) के दौरान मशीनों में कूलेंट, बैटरी ग्रेविटी, बेल्ट टेंशन, लीकेज, और सेफ्टी सेंसर की जांच अनिवार्य होगी, एवं तदनुसार जाँच रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
- सर्विस के दौरान आवश्यक मोबिल ऑयल (Mobil Oil), फिल्टर्स (Air/Fuel/Oil Filters) और अन्य खराब पुर्जे, विश्वविद्यालय द्वारा वास्तविक आधार पर वहन किए जायेंगे। इस दौरान मशीन में Original/OEM (Original Equipment Manufacturer) पार्ट्स ही उपयोग किए जायेंगे।
- फर्म को सेवा का भुगतान ए.एम.सी. के दौरान दो किस्तों में किया जाएगा। किस्तों का निर्धारण अनुबंध के समय में किया जायेगा।
- क्रम सं. 3 (20 KVA) की 'मरम्मत' का भुगतान कार्य पूरा होने और मशीन के सफलतापूर्वक चलने के बाद ही एकमुश्त किया जाएगा।
- यदि फर्म, अपनी सेवा के स्तर से शिकायत के 08 घंटे के भीतर समस्या का समाधान करने में विफल रहती है, तो विश्वविद्यालय को फर्म पर उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमों के अधीन अर्थदंड लगाने का पूर्ण अधिकार होगा। यदि फर्म का कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय बिना कारण बताये 15 दिन पूर्व नोटिस देकर अनुबंध रद्द कर सकती है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय के पास अधिकार होगा की वह उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमों के अधीन फर्म के विरुद्ध अर्थदंड लगाने अथवा भुगतान में कटौती के साथ साथ/अतिरिक्त प्रतिबंधित करने या ब्लैकलिस्टेड करने की कार्यवाही कर सकेगी।
- कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना या जनहानि के लिए फर्म स्वयं जिम्मेदार होगी। विश्वविद्यालय किसी भी मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- कोटेशन नोटिस मात्र दरों की जानकारी हेतु जारी किया जा रहा है । फर्म यह सुनिश्चित कर ले कि केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने मात्र से या इस आधार पर क्रयादेश/ कार्यादेश पाने का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
- विश्वविद्यालय का बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा सभी कोटेशन को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

- किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र हल्द्वानी (नैनीताल)होगा।

(सूर्य प्रताप सिंह)
अध्यक्ष, केंद्रीय क्रय समिति

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी ।
2. प्रभारी, आई.सी.टी अनुभाग को कोटेशन नोटिस विश्वविद्यालय की वेबसाइट मे अपलोड करने हेतु ।
3. सहायक कुलसचिव (क्रय/अनुरक्षण), उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी ।

(सूर्य प्रताप सिंह)
अध्यक्ष, केंद्रीय क्रय समिति

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी परिसर में स्थापित डीजल जनरेटर सेट्स (DG Sets) के रखरखाव (Non-Comprehensive AMC)/वार्षिक अनुरक्षण एवं मरम्मत के कार्य हेतु कोटेशन दरों का प्रारूप

(रुपये में)

जेनसेट विवरण	क्षमता	ए.एम.सी. दर (एक वर्ष के लिए)	वन टाइम रिपेयर चार्ज (केवल 20 KVA के लिए)	कुल राशि
डीजल जनरेटर (2010)	82.5 KVA	Rs.	लागू नहीं	Rs. ....
डीजल जनरेटर (2012)	125 KVA	Rs.	लागू नहीं	Rs. ....
डीजल जनरेटर (2014)	20 KVA	Rs.	Rs.	Rs. ....
डीजल जनरेटर (2010)	15 KVA	Rs.	लागू नहीं	Rs. ....
कुल योग (Total)		**Rs. ....**	**Rs. ....**	**Rs. ....**

फर्म प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:...

फर्म का नाम व पत्ता: ....

फर्म का जी.एस.टी. नंबर...

फर्म का पता:...

फर्म का संपर्क नंबर (Mobile):...

फर्म की ईमेल आईडी (Email ID): ....

फर्म की मुहर (यदि हो तो): ....